प्रेस नोट दिनांक-19.09.2025, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गैस सिलेंडर सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्त को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार मोड वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 13/9/2025 को वादी चौकापारपुर थाना मानिकपुर कुण्डा प्रतापगढ़ गंगापार गाय खरीदने के लिये गया था तथा उसकी पत्नी गाय को चारा डालने गई थी, उसी बीच घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका इण्डेन कम्पनी का स्लेण्डर चुरा लिया था उसकी पत्नी द्वारा स्लेण्डर को खोजा व पड़ोसियो से पूछा तो 01 व्यक्ति ने बताया की आपका सलेण्डर विजय कुमार s/o राम मूरत मौर्या निवासी काछी पट्टी थाना मानिकपुर द्वारा चोरी करके ले जा रहा था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/25 धारा 305 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 19.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का रामदेव गौतम व का0 दर्वेश कुमार के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/25 धारा 305 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त विजय कुमार पुत्र राममूरत मौर्या उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मनिहारी टोला थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ को 01 अदद गैस सिलेण्डर के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार मोड वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह सिलेण्डर मैने दिनांक 13.09.2025 को सुबह समय करीब 11.30 बजे चौकापारपुर के रहने वाले वादी के घर से चुराया था। उस समय उसके घर में कोई नही था, मौका पाकर मैने सिलेण्डर चुरा लिया था। मैं इस सिलेण्डर को बेचने की फिराक मे था लेकिन बेचने का मौका नही मिल पाया। मैने इस सिलेण्डर को छुपाकर रखा हुआ था आज मौका देखकर बेचने ही जा रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार पुत्र राममूरत मौर्या उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मनिहारी टोला थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का रामदेव गौतम व का0 दर्वेश कुमार थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर पुलिया के पास थाना पट्टी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दायें पैर में गोली लगी-

घायल अभियुक्त कुंदन को ईलाज हेतु सीएससी पट्टी भेजा गया है-

अभियुक्त के कब्जे से 01अदद तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 मिस कारतूस बरामद किये गये-

थाना पट्टी पर दिनांक 18.09.2025 को आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्त की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 18.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थाना पट्टी पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी के अभियोग से संबंधित अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित शातिर अभियुक्त कुंदन पुत्र रामचंद्र निवासी गोपालपुर ठनेपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के दायें पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएससी पट्टी भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त के कब्जे से 01अदद तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 मिस कारतूस बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. कुंदन पुत्र रामचंद्र निवासी गोपालपुर ठनेपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय यादव व उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेम-प्रसंग विवाद में युवक की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

कोतवाली देहात पुलिस की बड़ी सफलता

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई

घटना से जुड़े पूर्व में 05 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रेम-प्रसंग से नाराज होकर पुनीत पुत्र विनोद कुमार सरोज निवासी ग्राम नमक शायर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ने अपने साथियों कुलदीप मुसहर, निसार एवं बाकेलाल उर्फ रमेश के साथ मिलकर युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 231/25 धारा 137(2)/140(2)/103 (1)/238/3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में दिनांक 18.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अजीत सिंह,का0 विजय बघेल, का० विकास जायसवाल, का० चन्द्रकेश द्वारा मु0अ0सं0- 231/25 धारा 137(2)/140(2)/103 (1)/238/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ में *वाँछित अभियुक्त नितिन पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी मतुई नमक शायर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत भुपियामऊ चौराहे से पृथ्वीगंज की ओर जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

नितिन पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी मतुई नमक शायर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया विकास पटेल मेरी बहन को छेड़ता था फोन से बातचीच कर परेशान करता था तथा मोबाइल में फोटो खींच लिया था जिसस डिलिट कराने व विकास पटेल का काम लगाने के लिए मैने फोन से मामा कुलदीप व निसार को कहा था साथ मेरा छोटा भाई पुनीत व बाकेलाल, विकास सरोज तथा अमन गौतम ने विकास पटेल को कोडरी गांव के पास व भुईदहा गांव के पीछे नार (नाला) के पास बने कुएं में मार कर फेंक दिया था साहब इसीलिए आप लोगों को देखकर मै छटपटाकर भागना चाहा लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अजीत सिंह,का0 विजय बघेल, का० विकास जायसवाल, का० चन्द्रकेश थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत सरसीडीह पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब चन्द्र के नेतृत्व में उ0नि0 पवन यादव मय हमराह हे0का0 बदीनारायण सिंह का पिन्टू चौहान द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थानाक्षेत्र कन्धई के सरसीडीह पुलिया के पास से 02 अभियुक्त 1. अखिलेश यादव सुत रामआसरे 2. विकाश यादव सुत राधेश्याम निवासीगण सरायसागर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया।

अभियुक्तों के पास से नाजायज तमन्चा व कारतूस बरामदगी के संबंध में थाना कन्धई में मु0अ0सं0 225/25 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अखिलेश यादव सुत रामआसरे निवासी सरायसागर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ
2. विकाश यादव सुत राधेश्याम निवासी सरायसागर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ

बरामदगी-
01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 पवन यादव मय हमराह हे0का0 बदीनारायण सिंह का पिन्टू चौहान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना- देल्हूपुर, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से लूट के 1720/- रुपये बरामद किये गये-
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मरखामई बार्डर के पास से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31/08/025 को वादी नि०ग्रा0 भगवानपुर मुफरिद थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ अपनी मोटर साईकिल से छितपालगढ़ बाजार से अपने घर भगवानपुर मुफरिद जा रहे थे कि रास्ते में बड़ी नहर नाले के पुल से 100 मी० भगवानपुर की तरफ जाने वाली रोड पर सामने से एक अपाचे मोटर साईकिल पर तीन अज्ञात व्यक्ति सवार आकर उसको रोककर मोबाइल व 10000 हजार रूपये छीनकर तीनो व्यक्ति अपाचे बाइक मोटर साईकिल से भाग गये थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 93/2025 धारा-309(4)/126(2) BNS बनाम मोटर साईकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 17.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 रमेश तिवारी, हे0का0 प्रीतम कुमार गिरी, हे0का0 हरिकेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर के मु0अ0सं0 93/2025 धारा-309(4)/126(2) BNS से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 अरशद पुत्र मो0 शमशाद निवासी ग्राम पुरैला थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को लूट के 1720/- रुपये के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत मरखामई बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- मो0 अरशद पुत्र मो0 शमशाद निवासी ग्राम पुरैला थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रमेश तिवारी, हे0का0 प्रीतम कुमार गिरी, हे0का0 हरिकेश कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

7779 लीटर अवैध शराब का विधिक प्रक्रिया के तहत विनष्टीकरण – अनुमानित कीमत 90 लाख

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जनपद स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज थाना हथिगवां पर जब्त 7779 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार निस्तारण/विनष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 90 लाख है।

मा0 न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा गठित टीम क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता, एसडीएम कुण्डा प्रतापगढ़, अभियोजन अधिकारी — न्यायालय (कक्ष संख्या-15), आबकारी अधिकारी कुण्डा, खाद्य निरीक्षक कुण्डा प्रतापगढ़, द्वारा अवैध शराब विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक थाना हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह सहित संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारीगण सम्मिलित रहे । अवैध शराब विनष्टीकरण कार्य मा० न्यायालय के दिशा-निर्देश एवं मादक पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण हेतु जारी गाइडलाइन के तहत किया गया। थाना

परिसरों में वर्षों से जमा मादक पदार्थों के कारण उत्पन्न दुर्गंध, रिसाव व स्वास्थ्य जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे पदार्थों को विधिक आदेश के तहत नष्ट करने की नीति अपनाई गई है।

यह अवैध शराब मु0अ0सं0-49/2021 धारा 420, 467, 468, 471, 272,273 भान्दसं० व 60(2)/63 आबकारी अधिनियम, 63 क कापीराईट एक्ट तथा 103 / 104 व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, थाना- हथिगवां, प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 3450 लीटर देशी शराब व 1899 लीटर अंग्रेजी शराब अवैध व मु0अ0सं0- 48/2021 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273 भा०द०सं० व 60/63 उ०प्र० आबकारी अधिनियम, थाना- हथिगवां, प्रतापगढ़ से संबंधित 2430 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब थी, जिसे मा० न्यायालय से विधिवत अनुमति प्राप्त कर झाझा का पुरवा के पास नष्ट किया गया।

विनष्टीकृत माल का विवरण:-
देशी शराब (मुकदमा 49/2021): 3,450 लीटर
अंग्रेजी शराब (मुकदमा 49/2021): 1,899 लीटर
अंग्रेजी शराब (मुकदमा 48/2021): 2,430 लीटर

अनुमानित बाजार मूल्य – ₹ 90 लाख रुपये

गठित टीम में सम्मिलित अधिकारीगण:-
एसडीएम कुण्डा प्रतापगढ़, श्री वाचस्पति सिंह,
क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता,
अभियोजन अधिकारी प्रतापगढ़ — न्यायालय (कक्ष संख्या-15)- श्री इन्दबली यादव
आबकारी अधिकारी कुण्डा, श्री विजय बहादुर सिंह यादव,
खाद्य निरीक्षक कुण्डा प्रतापगढ़, श्री शिवकुमार मिश्रा,
प्रभारी निरीक्षक थाना हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह,
तथा अन्य संबन्धित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण जनपद प्रतापगढ़।

बयान- "जनपद में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, नशा मुक्ति एवं सार्वजनिक सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा कठोर एवं सतत कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान आगे भी प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।”